कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotew@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक संख्या– 2466 /4–1 दिनांक, 20.11.2021

सेवा में,

सम्पादक,
1– अमर उजाला, समाचार पत्र, हल्द्वानी।
2– दैनिक जागरण, समाचार पत्र, हल्द्वानी।
3– हिन्दुस्तान दैनिक, समाचार पत्र, हल्द्वानी।

विषय – प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी की प्रेस विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार–पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम साईज में डी0ए0पी0 की दरों पर दिनांक 22.11.2021 के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेस्तुत करें।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रेस विज्ञप्ति

तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई राजि अन्तर्गत प्रस्तावित सुरई जैव विविधता भ्रमण हेतु झनकईया गेट पर जिप्सी वाहन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम, शर्ते इत्यादि किसी भी कार्यालय कार्य दिवस पर प्रभागीय कार्यालय एवं सुरई राजि कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 01.12.2021 है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

भवदीय,

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 2466 /4-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2– उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
2– प्रभागीय नोटिस बोर्ड।
3– गार्ड बुक हेतु।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

Scanned with CamScanner

जिप्सी वाहनों के पंजीकरण आवेदन पत्र (वर्ष 2021–22)
सुरई जैव विविधता भ्रमण (सुरई जंगल सफारी)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

वाहन स्वामी का स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटो

1. वाहन/जिप्सी स्वामी का नाम ....
2. पिता/पत्नी का नाम ....
3. वाहन/जिप्सी स्वामी का पता ....
   अ– स्थायी ....
   ....
   ब– अस्थायी (पत्राचार का पता) ....
   ....
   स– मोबाईल नम्बर ....

वाहन/जिप्सी सम्बन्धी सूचना–

(i) वाहन संख्या :–

(ii) वाहन का पंजीकरण संख्या (परिवहन विभाग उत्तराखण्ड आर0सी0 के अनुसार)..........................
प्रदूषण मानक–यूरो नं0 के समस्त बॉक्स में सही के निशान से टिक करें

भारत स्टेज–2 ☐ भारत स्टेज–3 ☐ भारत स्टेज–4 ☐

(ii) टैक्सी परमिट संख्या.......................... वैध अवधि कब से.......................... कब तक..........................
(iii) बीमा प्रपत्र.......................... वैध अवधि कब से.......................... कब तक..........................
(iv) प्रदूषण प्रमाण पत्र.......................... वैध अवधि कब से.......................... कब तक..........................
(v) वाहन/जिप्सी का प्रकार.......................... वैध अवधि कब से.......................... कब तक..........................
(vi) चैसिस नम्बर..........................उत्पाद वर्ष/मॉडल..........................यात्री क्षमता..........................

☐
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट :– बिन्दु संख्या (iii), (iv), (v) से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्पूर्ण वर्ष के लिए ही मान्य होंगे, यदि उक्त प्रमाण पत्र पंजीकरण अवधि में कालातीत प्रतीत होते हैं तो उनको तत्काल नवीनीकरण कराकर उसकी सत्यापित छायाप्रति सुरई वन क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में जमा कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त प्रमाण पत्रों की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें जो स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने आदि के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा ऐसा पाये जाने पर उसके विरूद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

Scanned with CamScanner

सुरई जैव विविधता भ्रमण हेतु वाहनों के पंजीकरण सम्बन्धी दिशा–निर्देश

पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्कः–

जिप्सी रजिस्ट्रेशन शुल्क– रू0 200.00

1. प्रथम चरण में झनकईया प्रवेश द्वार हेतु 30 वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।
2. सुरई जैव विविधता क्षेत्र में नागरिकों के उपयोग हेतु सामान्यतया उन्हीं व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका पंजीकरण कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग में हो।
3. पंजीकरण वाहन स्वामी के नाम पर सितम्बर से अगस्त तक के लिए किया जा सकेगा।
4. पंजीकरण हेतु सम्बन्धित वाहन का उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत पंजीकरण ट्रांसपोर्ट विभाग का व्यावसायिक परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा समुचित फिटनेस आदि होना अनिवार्य होगा।
5. वाहन का सॉफ्ट टॉप तथा 4 व्हील ड्राइव होना अनिवार्य है।
6. **वाहन का निर्धारित रंग (ऑलिव ग्रीन) होना चाहिए।**
7. वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया उपरान्त प्रत्येक पंजीकृत वाहन के साथ यथासंभव अधिकतम दो चालकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। चालकों के पास वैद्य व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। पंजीकृत वाहन चालकों के अतिरिक्त किसी अन्य को सुरई जैव विविधता क्षेत्र में उक्त वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
8. प्रत्येक वाहन में फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा।
9. पंजीकृत वाहन स्वामियों/चालकों द्वारा सुरई जैव विविधता भ्रमण हेतु आम जनमानस से निर्धारित धनराशि के अलावा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
10. पंजीकृत वाहन चालकों को एक लाख रुपये का स्वयं का दुर्घटना बीमा अपने व्यय पर करवाना होगा।
11. दिवसीय भ्रमण के दौरान मोबाइल बन्द रखा जाना होगा। इसका उपयोग किसी विशेष अथवा सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर ही अनुमन्य होगा।
12. पंजीकृत वाहनों की अधिकतम गति 15 किमी0/घण्टा ही अनुमन्य होगी। चैकिंग के दौरान गति अधिक पायी जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. समस्त पंजीकृत वाहन चालकों को सुरई जैव विविधता के समस्त नियमों व कानूनों का अध्ययन व जानकारी होना अनिवार्य है।
14. इन नियमों में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है। किसी भी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।
15. इन नियमों के उल्लंघन होने पर प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा सम्बन्धितों के विरूद्ध कार्यवाही जिसमें पंजीकरण निरस्त करना सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे किसी मामले में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम होगा।

Scanned with CamScanner

16. उक्त दिशा निर्देश भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं फॉरेस्ट मैनवल (VII) की धारा–272 (3) अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्त दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना उक्तानुसार दी गई अनुमति का उल्लंघन होगा एवं तदनुसार सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

17. सुरई जैव विविधता भ्रमण हेतु जिप्सी वाहनों के पंजीकरण की विज्ञप्ति सक्षम स्तर से निर्गत अनुमोदन/स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रकाशित की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग को बिना कारण बताये उक्त पंजीकरण प्रक्रिया को निरस्त या संशोधित किये जाने का अधिकार होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

Scanned with CamScanner